



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocc.lko-mefca.nic.in

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/47/2022/एफ.सी./527

दिनांक: 24.09.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/141411/2021

विषय: जनपद जौनपुर के अन्तर्गत एन0एच0 डिवीजन-1 पीडब्ल्यूडी वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-135ए के चैनैज सं०-34.900 (भदोही) से चैनैज सं०-73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 5280 वृक्षों/पौधों के पतन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक-15.09.2022 की कार्यवाही (Agenda-70.2 U.P.).

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयवर्तित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण को दिनांक 15.09.2022 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक-15.09.2022 में लिये गए निर्णय के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में निम्न सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी। कृपया निम्नलिखित बिन्दु पर सूचना शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराये जिससे की प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

I- Submission of a certificate of the competent authority that as per the defined policy of the State Govt., the earlier plantation in the area proposed for CA is a failure plantation and a new plantation can be taken up in that area.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०-1, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

6

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1130 /11-सी-FP/UP/Road/141411/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 29, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०-1, लो०नि०वि०, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।